राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8 (क)नियम/डीएलबी/17/3166 दिनांकः 25/01/18

–:परिपत्रः–

राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागो में नागरिकों के कार्य समय पर निष्पादित करने के लिए राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 लागू कर रखा है। उक्त अधिनियम में स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगर निगम/परिषद/पालिकाओ के विभिन्न कार्यों के निष्पादन की समय अवधि निर्धारित की हुई है।

विभाग द्वारा समय–समय पर नगरीय निकायों को आदेश जारी किये गये है कि उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन अधिनियम में विहित अवधि में किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान की जावे।

इस क्रम में विशेष रूप से नाम हस्तानान्तरण के प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होने की जानकारी प्राप्त होने से समस्त निकायों को आदेश दिये जाते है कि उक्त अधिनियम में नाम हस्तानान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण की विहित अवधि 07 दिवस में अनिवार्य रूप से नाम हस्तानान्तरण के प्रकरण निस्तारित किये जावे। इसके लिए आवेदन पत्र नगरीय निकाय में नागरिकों द्वारा प्रस्तुत करते समय संबंधित शाखा कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र की जांच करके समस्त दस्तावेजो सहित आवेदन पत्र प्राप्त किये जावे ताकि प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ की जा सके। यह सुनिश्चित किया जावे कि नाम हस्तानान्तरण के प्रकरणों का विहित 07 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से निस्तारित हो जावे। इस कार्य की संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जावे।

नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का यह दायित्व है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8 (क)नियम/डीएलबी/17/3167–3587 दिनांकः 25/01/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय स्वा0 शा0 विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
07. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
08. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी